फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

देवीसिंह बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा– प्रा0 पत्र अ0धा0 128 एल0 आर0 एक्ट मु0नं0– 33/2024

पीठासीन अधिकारी– यशवन्त मीना (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.05.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। जवाब स्टेट प्राप्त। बहस प्रार्थना पत्र अ0धा0 128 एल0 आर0 एक्ट सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुए कथन किया कि भूमि आराजी खसरा नम्बर 2862 एवं 2863 वाके रामा टोरडा तह0 बहरावण्डा जिला दौसा में स्थित है जिसकी खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज एवं राजस्व रिकॉर्ड चली आ रही है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा दिनांक 27.09.2023 को किया जा चुका है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढी की कार्यवाही की जावे। बहस प्रार्थना पत्र का मनन किया गया । पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रश्नगत भूमि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है जिसका सीमाज्ञान तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा किया जा चुका है तथा प्रकरण में तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा पत्रांक भू0अ0/2024/537 दिनांक 26.04.2024 द्वारा जवाब भी पेश किया जा चुका है। तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा जवाब के बिंदु संख्या 1 अंकित किया है उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है तथा जवाब में यह भी अकित किया है कि विवादित भूमि पर प्रार्थी काबिज न होकर दुसरे व्यक्ति काबिज है मौके पर उक्त भूमि में लगभग 10 से 15 आम के पेड लगे हुये है। तथा आंशिक रकबे पर श्मशान घाट बना हुआ है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि पर वादी का कब्जा नहीं है पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अ0धा0 128 एल0 आर0 एक्ट अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 13.05.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)	